



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64349

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 12009 वर्ष 2026

अंश अग्रवाल और एक अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता	:	अक्षय रघुवंशी, बी.के. सिंह रघुवंशी
प्रतिपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव,

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान आवेदन मामला अपराध संख्या 190 वर्ष 2023, अंतर्गत धारा 420, 406, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना ओबरा, जिला सोनभद्र से उत्पन्न वाद संख्या 883 वर्ष 2026 (राज्य बनाम अंश अग्रवाल और अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के साथ-साथ समन आदेश दिनांक 5.2.2026 और आरोप पत्र दिनांक 22.8.2025 को भी रद्द करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आरोपपत्र के साथ-साथ संज्ञान/समन आदेश और इस मामले की पूरी कार्यवाही को ही चुनौती दी है, ठीक इस आधार पर कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (2024 10 एससीसी 690) में प्रतिवेदित किए गए मामले में स्थापित विधि प्रतिपादना के अनुसार धारा 420 और 406 भारतीय दंड संहिता एक साथ लागू नहीं की जा सकतीं। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे पुनर्प्रस्तुत है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“ 38. हमारी राय में, परिवाद को सीधे पढ़ने से उपर्युक्त किसी भी तत्व का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। पुलिस और अवर न्यायालयों के मन में कानून की गंभीर गलत धारणा को दूर करने के उद्देश्य से हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि यदि परिवादी का यह दावा है कि अभियुक्त द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के अंतर्गत परिभाषित आपराधिक विश्वासघात का अपराध किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत दंडनीय है, तो उसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने धारा 415 भारतीय दंड संहिता में परिभाषित और स्पष्ट किए गए छल के अपराध को भी अंजाम दिया है, जो धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है।

41. मात्र अनुबंध उल्लंघन और आपराधिक विश्वासघात एवं छल के अपराध के बीच अंतर सूक्ष्म है। छल के मामले में, प्रलोभन देते समय अभियुक्त के आशय की जांच की जानी चाहिए, जिसका आकलन बाद के आचरण से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बाद का आचरण एकमात्र मापदंड नहीं है। मात्र अनुबंध उल्लंघन छल के लिए आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बन सकता जब तक कि लेन-देन की शुरुआत से ही, यानी अपराध घटित होने के समय से ही, कपटपूर्ण या बेईमान आशय प्रदर्शित न हो। इसलिए, यही आशय अपराध का मूल तत्व है।

43. आपराधिक विश्वासघात और छल में अंतर है। छल के मामले में, झूठा या भ्रामक अभिकथन देते समय, यानी शुरुआत से ही, आपराधिक आशय होना आवश्यक है। आपराधिक विश्वासघात में, केवल सोंपे जाने का प्रमाण ही पर्याप्त होता है। इस प्रकार, आपराधिक विश्वासघात के मामले में, अपराधी को वैध रूप से संपत्ति सौंपी जाती है, और वह बेईमानी से उसका दुरुपयोग करता है। जबकि, छल के मामले में, अपराधी कपटपूर्ण या बेईमानी से किसी व्यक्ति को धोखा देकर उससे कोई संपत्ति प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में, दोनों अपराध एक साथ नहीं हो सकते।

55. अब समय आ गया है कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को कानून का उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे छल और आपराधिक विश्वासघात के अपराधों के बीच सूक्ष्म अंतर को समझ सकें। दोनों अपराध स्वतंत्र और भिन्न हैं। एक ही परिस्थिति में ये दोनों अपराध एक साथ नहीं हो सकते। वे एक दूसरे के विपरीत हैं। भारतीय दंड



संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023) के ये दोनों प्रावधान जुड़वां नहीं हैं कि वे एक दूसरे के बिना चल न सकें।"

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आवेदन के माध्यम से मांगी गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन आवेदकों की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए कानून के स्थापित सिद्धांत पर प्रतिवाद करने में असमर्थ हैं।

5. चूंकि आवेदकों के निर्देशानुसार केवल कानूनी तर्क ही उठाए गए हैं, प्रतिपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को एतद्वारा समाप्त किया जाता है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, मामले के अभिलेख और दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का परिशीलन करने के बाद, यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 एक साथ लागू नहीं की जा सकतीं। अतः, वर्तमान मामले के अन्य गुणदोष में हस्तक्षेप किए बिना, विद्वान सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)/एफटीसी/एसीजेएम, सोनभद्र द्वारा वाद संख्या 883 वर्ष 2026 (राज्य बनाम अंश अग्रवाल और अन्य) में पारित संज्ञान/समन आदेश दिनांक 5.2.2026 को यहाँ केवल आवेदक(कों) के संबंध में रद्द किया जाता है, जो मामला अपराध संख्या 190 वर्ष 2023, अंतर्गत धारा 420, 406, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना ओबरा, जिला सोनभद्र से उत्पन्न हुआ है। मामले को विद्वान सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)/एफटीसी/एसीजेएम, सोनभद्र को वापस भेजा जाता है ताकि यदि आवश्यक हो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) मामले में स्थापित कानून के सिद्धांत के आलोक में अपराध का संज्ञान लेने का नया आदेश पारित किया जा सके।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)

25 मार्च, 2026

शाश्वत